न्यायालय सहायक कलक्टर बहरोड़ कोटपूतली–बहरोड़ राज.

पीठासीन अधिकारी :– रामकिशोर मीणा (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना नं. :– 10 / 2025
दायर दिनांक :– 06.02.2025
निर्णय दिनांक :– 15.05.2025

उनवान

1. सत्यनारायण उम्र 70 साल पुत्र श्री जगनीसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

.... प्रार्थी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री जगनीसहाय जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

2. वेदप्रकाश पुत्र श्री जगनीसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

3. मोहित पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बहरोड़ राजस्थान।

4. कैलाशी पुत्री श्री जगनीसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान हाल पत्नी श्री दुलीचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी 3072, तिराहा किनारी बाजार, मालीवाड़ा, दिल्ली 110006

5. निर्मला देवी स्त्री श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

6. पूर्ण चन्द पुत्र श्री बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

7. प्रिया शर्मा पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

8. फूलवती स्त्री श्री रामावतार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

9. विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

10. मनोज पुत्र श्री रामावतार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

11. रीना शर्मा पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

12. शकुन्तला पुत्री श्री रामावतार जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान।

13. सरोज पुत्री श्री रामावतार मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली जाति ब्राहम्गण निवासी ग्राम बहरोड़ राजस्थान।

14. सोमदत्त पुत्र श्री रामावतार मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम बहरोड राजस्थान।

15. राजेश पत्नी श्री विरेन्द्र कुमार मेहता जाति अहीर निवासी जखराना कलां तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान ।

16. उप पंजीयक महोदय बहरोड़ जिला कोटपूतली – बहरोड राजस्थान।

...................अप्रार्थीगण

सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

दावा बजरिये तकसीम आराजी एवं हुक्म इम्तनाई दवामी
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री दीपक दाधीच अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सतीश कुमार यादव अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. श्री अनिल यादव अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3, 5, 7, 11
4. श्री नवीन, प्रियंका अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 15

–: निर्णय :–

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हमारे समक्ष पेश हुई। फरीकेन के वकुलाय उपस्थित है। हमने पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 14 एक ही ग्राम मांचल तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान के रहने वाले है व प्रतिवादनी/अप्रार्थीया संख्या 15 ग्राम जखराना तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान की रहने वाली है। आराजी खसरा नम्बर 398 रकबा 0.14, 846 रकबा 0.20, 847 रकबा 0.20, 848 रकबा 0.38, 857 रकबा 0.24, 858 रकबा 0.37, 861 रकबा 0.33, 865 रकबा 0.06 वाके ग्राम मांचल तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान मे स्थित है जो आराजीयात इस प्रार्थना पत्र में आराजी मुतनाजा से प्रदर्शित की जावेगी। आराजी मुतनाजा वादी / प्रार्थी व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण 1 लगायत 15 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जो आराजी खसरा नम्बर 398 रकबा 0.14 वाके ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ में वादी/प्रार्थी का 1/10 हिस्सा है व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा है व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा है व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा है व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा है व प्रतिवादनी/अप्राथर्थीया संख्या 15 का 1/10 हिस्सा है व खसरा नम्बर 846 रकबा 0.20, 847 रकबा 0.20, 848 रकबा 0.38 वाके ग्राम मांचल तहसील बहरोड में वादी / प्रार्थी का 37/390 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 का 37/390 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 का 37/390 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 3 का 37/1560 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 4 का 37/390 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 5 का 37/1560 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 का 41/312 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 7 का 37/1560 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 8 का 41/780 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 9 का 41/312 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 10 का 41/780 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 11 का 37/1560 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 12 का 41/780 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 13 ना 41/780 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 14 का 41/780 हिस्सा है व खसरा नम्बर 857 रकबा 0.24, 858 रकबा 0.37, 861 रकबा 0.33, 865 रकबा 0.06 वाके ग्राम मांचल तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ राजस्थान मे वादी/प्रार्थी का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी /अप्रार्थी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 4 का 1/5 हिस्सा है। जो आराजी मुतनाजा का पक्षकारान के दरमियान अरसा करीब 50 साल पूर्व जुबानी तौर पर बाहमी बटवारा हो चुका है जो मुताबिक बाहमी बटवारा निम्न प्रकार से पक्षकारान के हक में आराजी आई हुई है

(1) वादी/प्रार्थी सत्यनारायण के हक व हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 861 रकबा 0.33 सालिम आराजी व आराजी खसरा नम्बर 398 रकबा 0.14 हैक्टेयर में से 2.80 ऐयर भूमि आई

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

जिसमें से 1.40 ऐयर भूमि का बेचान प्रतिवादनी/अप्रार्थीया संख्या 15 को कर दिया, शेष 1.40 ऐयर भूमि वादी के हक व हिस्से की है।

(2) प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 ओमप्रकाश के हक व हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 398 रकबा 0.14 में से 10 ऐयर भूमि आई है जिसमें चारदीवारी व मकानात व कुआ बनाया हुआ है व खसरा नम्बर 857 रकबा 0.24 हैक्टेयर सालिम आराजी हिस्से में आई है।

(3) प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 2 वेदप्रकाश के हक व हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 848 रकबा 0.38 सालिम आराजी हक व हिस्से में आई है।

(4) प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 3 मोहित व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 5 निर्मला देवी व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 7 प्रिया शर्मा व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 11 रीना के हक व हिस्से मे आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 0.37 सालिम आराजी आई है।

(5) प्रतिवादनी/अप्रार्थीया संख्या 4 कैलाशी से जुबानी तौर पर बटवारा नहीं हुआ जो प्रतिवादनी/अप्रार्थीया संख्या 4 कैलाशी का मुताबिक जमाबन्दी खसरा नम्बर 398 रकबा 0.14, 857 रकबा 0.24, 858 रकबा 0.37, 861 रकबा 0.33, 865 रकबा 0.06 वाके ग्राम मांचल में 1/5 हिस्सा व खसरा नम्बर 846 रकबा 0.20, 847 रकबा 0.20 व 848 रकबा 0.38 वाके ग्राम मांचल में 37/390 हिस्सा है। जिस सूरत में अन्य पक्षकारान के हक में मुताबिक बाहमी बटवारा आई हुई आराजी मे से प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 4 का हक व हिस्सा कम किया जाकर तकसीम किया जाना न्याय संगत है।

(6) प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 पूर्णचन्द व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 9 विजेन्द्र व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 8 फूलवती व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 10 मनोज व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 12 शकुन्तला व प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 13 सरोज व प्रतिवादी संख्या 14 सोमदत्त के एक व हिस्से में खसरा नम्बर 846 रकबा 0.20 4 847 रकबा 0.20 वाके ग्राम मांचल हक व हिस्से में आया है। जिसमें प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 व 9 का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 8, 10, 12, 13, 14 का 1/2 हिस्सा है।

(7) प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 15 राजेश स्त्री विरेन्द्र कुमार का खसरा नम्बर 398 रकबा 0.14 वाके ग्राम मांचल में 1/10 हिस्सा है।

जो पक्षकारान मुताबिक बाहमी बटवारा मौके पर अपने अपने हक व हिस्से की आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है व मौके पर काबिज है। पक्षकारान मुताबिक बाहमी बटवारा अरसा करीब 50 साल से मौके पर अपने अपने हक व हिस्से की आराजी पर काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु अब प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 के मन में बेईमानी आ गई जो आराजी मुतनाजा को बिना मुताबिक बाहमी बंटवारा विधिवत रूप से तकसीम करवाये आराजी मुतनाजा के विशेष पोर्सन पर जबरन कब्जा कर व उसकी शक्ल सूरत तब्दील करने व उसे दीगर जगह बेचान करने पर आमादा है। जिस सूरत में वादी/प्रार्थी कुल आराजी मुतनाजा में मुताबिक 8 बटवारा अपने हक व हिस्से की आराजी को तकसीम करवाने का अधिकारी है। यदि न्यायालय श्रीमान् ऐसा मुनासीब नहीं समझे तो कुल आराजी मुतनाजा में मुताबिक जमाबन्दी पक्षकारान के हक व हिस्सो के अनुसार अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी पक्षकारान के दरमियान तकसीम किया जाना न्याय संगत है। प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 बहुत ही चालाक किस्म के व्यक्ति है जो आराजी मुतनाजा को बिना मुताबिक बाहमी बटवारा तकसीम करवाये आराजी मुतनाजा के विशेष पोर्सन पर जबरन कब्जा कर उसकी शक्ल सूरत तब्दील करने व उसे दीगर जगह बेचान करने पर आमादा है। जो कि प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण संख्या 1लगायत 15 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या लगायत 15 आराजी मुतनाजा को बिना मुताबिक बाहमी बटवारा तकसीम करवाये दीगर जगह बेचान करने

सहायक कलेक्टर
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

पर आमादा है जिसके लिये प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण संख्या लगायत 15 प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 16 उप पंजीयक नीमराना से भी मिले हुये है। यदि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण अपने इस गलत व कुण्ठित इरादे में कामयाब हो गये तो वादी/प्रार्थी को नापूर्ति होने वाला नुकसान होगा जिसे अर्थ में नही नापा जा सकेगा। जिस सूरत मे तारफैसला दावा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जाना न्याय संगत है कि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण लगायत 15 आराजी मुतनाजा को बिना मुताबिक बाहमी बटवारा तकसीम करवाये दीगर जगह रहन, बय, हिबा आदि प्रकार से खुर्द, बुर्द व मुन्तकिल नहीं करें व ना ही आराजी मुतनाजा की शक्ल सूरत तब्दील करें व ना ही आराजी मुतनाजा मे कोई किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ही करें व ना ही आराजी मुतनाजा में वादी/ प्रार्थी के हक व हिस्से की आराजी मे कब्जे काश्त फसल बोने, काटने व हर सूरत में उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें व ना ही प्रतिवादी /अप्रार्थी संख्या 16 उप पंजीयक बहरोड आराजी मुतनाजा की बाबत प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या लगायत 15 की बाबत किसी प्रकार के मुन्तकिली दस्तावेजात पेश करने की सूरत में उसे तस्दीक व पंजीबद्ध नहीं करें। बाज आवे। प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन वादी/प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है व नापूर्ति होने वाली क्षति भी वादी/प्रार्थी को ही है। श्रीमान से प्रार्थना है कि तारफैसला दावा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को इस आशय की हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 आराजी खसरा नम्बर 398 रकबा 0.14, 846 रकबा 0.20, 847 रकबा 0.20, 848 रकबा 0.38, 857 रकबा 0.24, 858 रकबा 0.37, 861 रकबा 0.33, 865 रकबा 0.06 वाके ग्राम माचल तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान को बिना मुताबिक बाहमी बटवारा तकसीम करवाये दीगर जगह रहन, बय, हिबा आदि प्रकार से खुर्द, बुर्द व मुन्तकिल नही करे व ना ही आराजी मुतनाजा की शक्ल सूरत तब्दील करे व ना ही आराजी मुतनाजा में कोई किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निर्माण कार्य ही करें व ना ही आराजी मुतनाजा में वादी/प्रार्थी के हक व हिस्से की आराजी में कब्जे काश्त फसल बोने, काटने व हर सूरत में उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नही करें व ना ही प्रतिवादी /अप्रार्थी संख्या 16 उप पंजीयक बहरोड आराजी मुतनाजा की बाबत प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 15 की बाबत्त किसी प्रकार के मुन्तकिली दस्तावेजात पेश करने की सूरत में उसे तस्दीक व पंजीबद्ध नही करें। बाज आवे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी वादी ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष दावा सही तथ्यो के ताथा पेश किया है। जो सत्य व स्वीकार है। उक्त आराजी का अर्सा दराज 50 साल से पिता के समय से बटवारा किया हुआ है तथा मौके पर बटवारा के मुता बिक का बिज है। मन उत्तरदाता मुताबिक बाहमी बटवारा के विभाजन करवाने के लिए तैयार रहा तथा आज भी तैयार हूँ। मन उत्तरदाता ने कभी विभाजन के लिए इन्कार नहीं किया और ना ही कभी किसी विशेष पोर्सन पर कब्जा करने का व बेचान करने का कोई प्रयास नहीं किया है। प्रार्थी ने तथ्यो को छिपाया है। जबकि मन उत्तरदाता की और से वादी प्रार्थी मुताबिक बाहमी बटवारा के अभी विभाजन करवाले। मन उत्तरदाता मुताबिक बाहमी बटवारा के विभाजन करने व करवाने के लिए तैयार रहा हूँ। तथा कभी भी विशेषा पोर्तन पर कोई कब्जा नही करना चाहा ना ही बेचान करना चाहा है। तथा अन्य पतिवादीगण अपार्थीगण कोई बेचान व मुन्तकिल करने पर आमादा है तो उनकी जानकारी मन उत्तरदाता को नहीं है। श्रीमान् मन उत्तरदाता का जबाव प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर मन उत्तरदाता को कोई उज्र व ऐतराज नहीं है। जबकि मन

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

उत्तरदाता बाहमी बटवारा पिता के समय अर्ता करीबन 50 साल पुर्व किया गया उसी अनुसार मौके पर प्रार्थना पत्र मे वणि तानुसार काबिज हूँ। तथा बटवारा करने व करवाने के लिए तैयार हूँ। वकील अप्रार्थी से 3, 5, 7, 11 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र कतई गलत तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है, जिसमें कामयाबी का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रार्थना पत्र आराजी मुतनाजा मे प्रत्येक खातेदार के हिस्सा दर्ज होने की सीमा तक सही है, यह कहना भी सही है कि मौके पर पक्षकारान के मध्य बहामी बँटवारा हो रखा है। जिमन न. 4 के सब जिमन न. 1 लगायत 7 मे दर्शित अनुसार बँटवारा नहीं हो रखा है। हम अप्रार्थीगण सं 3, 5, 7, 11 एक ही परिवार के सदस्य है जिनका आराजी मुतनाजा में कुल 33 एयर रकबा बनता है। हम प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा के खसरा नम्बर 861 रकबा 33 एयर सम्पूर्ण पर काबिज है, उक्त खसरा नम्बर हम प्रतिवादीगण के बहामी बँटवारे में हिस्से मे आया हुआ है जिस पर हम प्रतिवादीगण अपने पिता की मृत्यु से शांतिपूर्ण तरीके से काबिल काबिल हुए आ रहे हैं। प्रार्थी ने गलत तरीके से उक्त खसरा नम्बर को अपने हिस्से में दर्शित किया है। शेष पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है। प्रार्थीगण अच्छी अच्छी आराजी को मुतकील करने के तथ्य अंकित किये है लेकिन कौन से कौन से खसरा नम्बर अच्छे है, कौन से बुरे है यह पूरे वाद व प्रार्थना पत्र में स्पष्ट नही किया है। सच्चाई यह है कि अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 861 के 33 एयर के लगभग रकबा बनता है जिस अनुसार अप्रार्थीगण काफी वर्षो से काश्त करता चला आ रहा हूँ। आज तक मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है, अप्रार्थीगण हिस्से अनुसार अपनी आराजी मुतनाजा पर काबिज है। प्रार्थी के पक्ष में टी.आई. प्राप्त करने वाला बिन्दुओं में से एक भी बिन्दु साबित नही है क्योकि रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध टी.आई. जारी नहीं की जा सकती, ना ही उसे उसके हिस्से का उपयोग उपभोग करने से पाबंध किया जा सकता, मौके पर सभी शांतिपूर्ण तरीके से काबिज हैं, आज तक कोई विवाद नहीं हुआ है, प्रार्थी वादीगण ने केवल गलत मंशा से उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। प्रार्थी वादी शुद्ध हस्त से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष नही आया हैं। पक्षकारों के मध्य कभी कोई फौजदारी कार्यवाही व सिविल कार्यवाही नहीं हुई ना ही कोई झगडा हुआ, सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्ण तरीक से काबिज है, चूँकि हिस्से बाबत निर्णय मूल वाद में होना है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है, खारिज किया जावें। आर.आर.डी 2004 पेज 65 व आर.आर.डी 1010 पेज 159 में रिकॉर्ड के सम्बंध में स्थगन आदेश को माननीय रेवेन्यू बोर्ड द्वारा निरस्त किया गया हैं। रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध टी.आई. जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति नहीं होती हैं जो काबिल गौर श्रीमान् है। अतः श्रीमान् के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी वादीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण, प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के कारण एवं रिकॉर्डड खातेदार के विरूद्ध टी.आई. जारी नही किये जाने के कारण काबिल खारिज हैं, खारिज किया जावें व मिन अप्रार्थी को प्रार्थी से 25000 रू हर्जा खर्चा दिलवाया जावें। आपकी अति कृपा होगी।

हमने अधिवक्तागण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन किया एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वर्तमान में हम प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी 1955 का निर्णय कर रहे है। अन्य सभी बिन्दूओ पर वाद पत्र के निर्णय के समय विस्तार से विवेचन किया जावेगा। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी 1955 के निर्णय में तीन बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णिय क्षति के बिन्दू पर विवेचन करना होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073-76 के आराजी खसरा नं. 398 रकबा 0.14, 846 रकबा 0.20, 847 रकबा 0.20, 848 रकबा 0.38, 857 रकबा 0.24, 858

[illegible] फलोदर
सदस्य ([illegible])

रक्बा 0.37, 861 रक्बा 0.33, 865 रक्बा 0.06 वाके ग्राम मांचल तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार खातेदारी काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सहखातेदारो को अपनी खातेदारी आराजी में पाबन्द किया जाना कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण को भारी आर्थिक हानि होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है। सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति के बिन्दू अप्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाते है। जिस सूरत में प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अस्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र बाबत आराजी खसरा नम्बर आराजी खसरा नं. 398 रक्बा 0.14, 846 रक्बा 0.20, 847 रक्बा 0.20, 848 रक्बा 0.38, 857 रक्बा 0.24, 858 रक्बा 0. 37, 861 रक्बा 0.33, 865 रक्बा 0.06 वाके ग्राम मांचल तहसील बहरोड जिला कोटपूतली बहरोड अस्वीकार होने योग्य पाये जाने के कारण खारिज किया जाता है। दिनांक 23.01.2025 को जारी एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा को अपास्त किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करे।

आज दिनांक 15.05.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीणा
(आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
बहरोड कोटपूतली—बहरोड
बहरोड (कोटपूतली-बहरोड)